

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक: एफ.61(10) SSAAT/लोकपाल/2022-23/672

जयपुर, दिनांक 19/5/23

स्मरण पत्र-2

जिला कार्यक्रम समन्वयक (EGS) एवं जिला कलेक्टर,
अलवर, जयपुर, झुंझनू, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर,
श्री गंगानगर, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, भीलवाड़ा,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ एवं जालौर ।

विषय:- लोकपाल कार्यालय की व्यवस्था बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 8805/14.07.22, 9112/29.08.22, 9331/13.09.22, 9532/27
09.22, 10388/30.11.22, 10602/20.12.22 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास
एवं पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ.61(200) SSAAT/लोकपाल/2022-
23/11912 दिनांक 10.3.2023 एवं 116 दिनांक 10.4.2023 के क्रम में।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री अमित कटारिया ने अपने अ.शा. पत्र
क्रमांक J11060/01/2023.RE111 (383123) दिनांक 08.02.2023 (संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि
उनके मंत्रालय को राज्य के लोकपाल से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्हें
जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन्स के तहत देय तकनीकी एवं प्रशासनिक सुविधाएं
लोकपाल को उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है।

प्रासंगिक पत्रों द्वारा लोकपाल को कार्यालय स्थापित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के
सम्बन्ध में लिखा गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा भी जिला
कार्यक्रम समन्वयक, (EGS) एवं जिला कलेक्टरों को पत्र लिख कर निर्देशित किया था कि आपके जिलों में
नियुक्त लोकपाल की भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन्स अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए
उन्हे शीघ्र अवगत करावें। परन्तु इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से आज दिनांक तक सूचना प्राप्त नहीं हुई
है। आपके द्वारा सूचनाएं उपलब्ध न करवाये जाने से राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है। पुनः स्मरण
पत्र देते हुए निवेदन है कि आपके जिले के लोकपाल को भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन्स के तहत
आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को
अवगत करावें ताकि भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।


(संदीप चौहान)

निदेशक,

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)